न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

मुकदमा नम्बरः 23/2023

वादी –

राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची, बनगढ़ तहसील नावां जिला नागौर जरिये प्रधानाध्यापक प्रतापसिंह मीणा पुत्र श्री बोदूराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम राणासर पोस्ट सिरोही तहसील नीमकाथाना।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. छोटीदेवी पत्नि नानूराम जाति जाट उम्र 66 वर्ष निवासी गेनणों की ढाणी कुणी तन चौसला तहसील नावां।
2. भंवरीदेवी पत्नि उदाराम जाति जाट उम्र 61 वर्ष निवासी गेनणों की ढाणी कुणी तन चौसला तहसील नावां।
3. भीवाराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट उम्र 59 वर्ष निवासी गेनणों की ढाणी कुणी तन चौसला तहसील नावां।
4. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नावां तहसील नावां।
5. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भांकरोटा जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां तहसील नावां।

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री अंशुल सिंह आर.ए.एस.

उपस्थित :– श्री दीपेन्द्र सिंह चौधरी अधिवक्ता वादी
श्री चन्द्र प्रकाश सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

निर्णय

दिनांक :– 16.08.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम बनगढ़ पटवार हल्का चौसला तहसील नावां में स्थित खसरा आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 428 रकबा 0.03 हैक्टर गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर कुल रकबा 2.15 हैक्टर भूमि स्थित है जो आज दिन राजस्व ग्राम बनगढ़ में स्थित हैं लेकिन उपरोक्त खसरा आराजीयात भूमि पूर्व में राजस्व ग्राम कुणी पटवार हल्का गुढ़ासाल्ट में स्थित रही थी लेकिन नवीन राजस्व ग्राम बनगढ़ घोषित होने से उपरोक्त खसरा आराजीयात भूमि ग्राम बनगढ़ पटवार हल्का चौसला के क्षैत्राधिकार में अंकित हुई है। उपरोक्त आराजी भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश किये। छोटीदेवी पत्नि श्री नानूराम, भंवरीदेवी पत्नि श्री उदाराम, भीवाराम पुत्र श्री ज्ञानाराम जाति जाट निवासीयान गेनणों की ढाणी कुणी तन चौसला तहसील नावां खातेदार द्वारा मौजा ग्राम कुणी पटवार हल्का गुढ़ासाल्ट तहसील नावां में स्थित कृषि आराजी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

खसरा नम्बर 428 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर कुल रकबा 2.15 हैक्टर भूमि में से 0.08 हैक्टर भूमि का दान दिनांक 28.02.2002 को 100/- रूपये के मुद्रांक पर लिखित करवाकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालन हेतु शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जरिये प्रारम्भिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुचामन सिटी के पक्ष में समर्पित की गई थी लेकिन किसी कारणवश व सहवन से उक्त भूमि का पंजीयन राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनगढ़ के नाम नहीं हो सका तथा उक्त कारण उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हो सका। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा उक्त दान की गई भूमि पर सन 2002 से ही राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालय भवन जिसमें 3 कमरे, 2 शौचालय, रसोई घर व सम्पूर्ण चारदिवारी का निर्माण किया जाकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ के नाम से राजकीय विद्यालय संचालित होता चला आ रहा है जो मौके पर खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर भूमि में से 0.08 हैक्टर भूमि पर स्थित है। उक्त विद्यालय वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ के नाम से संचालित होता चला आ रहा है। खसरा नम्बर 428, 429 कुल रकबा 2.15 हैक्टर भूमि में से 0.08 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण 1 ता 3 द्वारा राजहक में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनगढ़ के हक में दान कर दी गई थी लेकिन किसी कारणवश दानपत्र का पंजीयन नहीं होने के कारण आज दिन भी राजस्व रिकॉर्ड में दानकर्त्तागण/प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम ही दर्ज चली आ रही है। उक्त दान की गई भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ के नाम अंकन करवाया जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार हैं तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बैंक प्रतिनिधि होने से व प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी प्रतिनिधि सरकार होने से फोरमल पक्षकार है। मौजा ग्राम बनगढ़ पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम हटाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 का जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाने एवं प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश सैनी ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का वाद मुताबिक इस्तदुआ वादी के अनुसार डिक्री किया जाकर उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर की खातेदारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की जाती है तो इसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई उज्र व एतराज नहीं है तथा पूर्ण सहमति है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के इकबाली जवाब का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार मौजा ग्राम कुणी पटवार हल्का गुढ़ासाल्ट तहसील नावां में स्थित कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 428 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर कुल रकबा 2.15 हैक्टर भूमि में से 0.08 हैक्टर भूमि का दान दिनांक 28.02.2002 को 100/– रूपये के मुद्रांक पर लिखित करवाकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालन हेतु शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जरिये प्रारम्भिक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुचामन सिटी के पक्ष में समर्पित की गई थी लेकिन उक्त भूमि का पंजीयन राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनगढ़ के पक्ष में नहीं हो सका इसलिए उक्त भूमि के नवीन मौजा ग्राम बनगढ़ पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का नाम हटाया जाकर वादी राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ को खातेदार घोषित करवाना चाहते हैं जिसपर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने इकबाली जवाब पेश कर उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर की खातेदारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की सहमति दी। इस प्रकार वादी के वाद पत्र, वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के इकबाली जवाब व सहमति के आधार पर मौजा ग्राम बनगढ़ पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर भूमि का वादी राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ तहसील नावां को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम बनगढ़ पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर भूमि का वादी राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ तहसील नावां को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अदालतः— **उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.**

अज अदालत :— श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

वादी —

राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची, बनगढ़ तहसील नावां जिला नागौर जरिये प्रधानाध्यापक प्रतापसिंह मीणा पुत्र श्री बोदूराम मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम राणासर पोस्ट सिरोही तहसील नीमकाथाना।

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. छोटीदेवी पत्नि नानूराम जाति जाट उम्र 66 वर्ष निवासी गेनणों की ढाणी कुणी तन चौसला तहसील नावां।
2. भंवरीदेवी पत्नि उदाराम जाति जाट उम्र 61 वर्ष निवासी गेनणों की ढाणी कुणी तन चौसला तहसील नावां।
3. भीवाराम पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट उम्र 59 वर्ष निवासी गेनणों की ढाणी कुणी तन चौसला तहसील नावां।
4. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा नावां तहसील नावां।
5. शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा भांकरोटा जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 43 / 2023 **निर्णय दिनांक :—** 16.08.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री दीपेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा ग्राम बनगढ़ पटवार हल्का चौसला तहसील नावां की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 429 रकबा 2.12 हैक्टर में से 0.08 हैक्टर भूमि का वादी राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिवजी की बगीची बनगढ़ तहसील नावां को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। तहरीर जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.08.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL